प्रेस विज्ञप्ति
19.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम कार्यालय ने गुरुग्राम के सेक्टर-83 में स्थित वाणिज्यिक परियोजना "अंसल हब-83" से संबंधित बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह परियोजना 19 कनाल 15 मरला (लगभग 2.47 एकड़) के भूभाग पर फैली हुई है और इसमें 147 वाणिज्यिक दुकानें, 137 कार्यालय स्थान और 02 रेस्तरां इकाइयां शामिल हैं।

जांच हरियाणा पुलिस द्वारा जून 2023 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें एम/एस अंसल हाउसिंग लिमिटेड (पूर्व में एम/एस अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के प्रमोटरों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें इसके पूर्णकालिक निदेशक कुशाग्र अंसल और इसकी संबद्ध संस्थाएं अर्थात् एम/एस सम्यक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस आकांक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। यह जांच यूबीयू-83 आवंटन कल्याण संघ की शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें एक हजार से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व किया गया था, जिन्होंने झूठे आश्वासनों और भ्रामक प्रस्तुतियों के आधार पर उक्त परियोजना में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था।

ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि वैध वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही परियोजना शुरू कर दी गई थी और निवेशकों को वाणिज्यिक इकाइयां बेच दी गई थीं, हालांकि परियोजना लाइसेंस दिसंबर 2015 में समाप्त हो गया था, लेकिन डेवलपर्स ने निवेशकों से पैसा लेना और सितंबर 2023 तक लाइसेंस का नवीनीकरण किए बिना इकाइयां बेचना जारी रखा। यह भी पता चला कि कई पीड़ित निवेशकों ने हरियाणा भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) में भी संपर्क किया था और परियोजना के कब्जे में देरी, परियोजना के पूरा न होने, अवैध रूप से धन संग्रह और डेवलपर द्वारा वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। निवेशकों को समय पर कब्जा और विश्व स्तरीय सुविधाओं का वादा किया गया था, हालांकि, लगभग 15 वर्षों के बाद भी, कोई अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और कब्जा नहीं सौंपा गया है। एकत्र किए गए धन का उपयोग परियोजना को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अन्य उद्देश्यों और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।

अब तक ईडी की जांच से पता चला है कि वर्ष 2011-2023 से निर्दोष आवंटियों से 82 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक की राशि एकत्र की गई है। परियोजना की भूमि के साथ-साथ अब तक किए गए निर्माण को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है ताकि संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण, बिक्री या निपटान को रोका जा सके, जो पीएमएलए के तहत भविष्य की जब्ती की कार्यवाही को विफल कर सकता है।

इसके अलावा, जांच जारी है। ईडी आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।